भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1890

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

केरल के लिए ऋण लेने की सीमा, राजकोषीय स्थिति और योजना संबंधी सहायता

1890. **डॉ. शशि थरूर:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी-मार्च, 2026 तिमाही के लिए निवल उधार सीमा में कटौती के संबंध में केरल सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है और राज्य के चल रहे विकास और कल्याण कार्यक्रमों पर ऐसी सीमाओं का क्या प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति आयोग या किसी अन्य केन्द्रीय संस्था ने राज्य के लिए ऋण सीमा की सिफारिश करते समय अथवा अनुमोदन करते समय केरल के ऋण स्तर, प्रतिबद्ध व्यय और विकास संकेतकों सहित उसकी राजकोषीय स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यविशिष्ट विकास आवश्यकताओं के साथ राजकोषीय अनुशासन को संतुलित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय योजना और राजकोषीय ढांचे को तैयार करते समय केरल जैसे राज्यों के समक्ष पेश आ रही विशिष्ट संरचनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2025-2026 की अंतिम तिमाही के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केरल राज्य सरकार (एसजीओके) को उधार लेने की सीमा में कटौती संबंधी सहमति के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि दिसंबर, 2025 में, वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी-मार्च 2026) की शेष अवधि के लिए उधार सहमति जारी करते समय, यह देखा गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 09.10.2025 को प्रकाशित, वर्ष 2023-24 के लिए केरल राज्य वित्त पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल राज्य सरकार (एसजीओके) की 10,632.46 करोड़ रुपये के ऑफ-बजट उधार (ओबीबी) की सूचना दी।

हालाँकि, केरल राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को सौंपी गई जानकारी में बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल ओबीबी केवल 4,687.79 करोड़ रुपये हैं। इसलिए, 5,944.67 करोड़ रुपये की अंतर राशि, जिसे एसजीओके द्वारा कम रिपोर्ट की गई थी, में वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के पात्र उधार स्थान से कटौती कर ली गई थी। तत्पश्चात, राज्य द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किए गए ओबीबी के वापसी अदायगी के लिए प्रतिस्थापन उधार के रूप में, 5,944.67 करोड़ रुपये की कुल कटौती में से 1,700 करोड़ रुपये की उधार सहमति हाल ही में बहाल की गई है।

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट 'राज्य वित्त 2022-23' में राज्यों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया है, जिसमें ऋण स्तर, प्रतिबद्ध व्यय और अन्य विकास संकेतक शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'राज्य वित्त: 2025-26 के बजट का एक अध्ययन' में एसजीओके सहित सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति का भी आकलन किया है।

(ग) वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, राज्य सरकारों को उधार लेने की अनुमति देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक सामान्य मानदंड लागू करता है और आम तौर पर वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है। तदनुसार, राज्य सरकारों की शुद्ध उधार सीमा वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमानित जीएसडीपी का 3 प्रतिशत तय की गई है। इसके अलावा, राज्य विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन से जुड़े कुछ सुधारों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार लेने के लिए पात्र हैं, जो शुद्ध उधार सीमा से अधिक है। इसके अलावा, राज्यों को पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए, जिसका गुणक प्रभाव अधिक होता है और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, वित्त मंत्रालय ने 2020-21 से सालाना पूंजी निवेश (एसएएससीआई)/व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की हैं। इन योजनाओं के तहत राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 2020-21 से 2025-26 तक (04.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार) एसएएससीआई के तहत केरल को 6,445 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। एसएएससीआई के तहत प्रदान किया गया ऋण राज्य की उधार सीमा से अधिक है।

(घ) राज्यों के स्वयं के राजस्व, व्यय आवश्यकता और वित्तीय आवश्यकताओं सहित वित्तीय स्थिति का आकलन वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। आयोग राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों और शुल्कों और अनुदानों के हस्तांतरण की मात्रा और

हस्तांतरण में राज्यों की परस्पर हिस्सेदारी की भी सिफारिश करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने राज्यों को किए जाने वाले कर हस्तांतरण को 13वें वित्त आयोग की अवधि के 32% से बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग की अवधि में 42% कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने भी जम्मू और कश्मीर के लिए 1% समायोजन के बाद हस्तांतरण के समान स्तर को बनाए रखा। इसके अलावा, केरल सहित कुछ राज्यों को राज्य के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को पाटने के लिए राजस्व घाटा अनुदान भी प्रदान किया गया था।

*****